पत्र संख्या- 364/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 29.11.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 29.11.2024 को थाना रानी की सराय पर हत्या की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्त, हत्या में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार किये गये है।

01.थाना- रानी की सराय: हत्या की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्त हत्या में प्रयुक्त चाकू के साथ गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण:-

➡दिनाँक 26.11.2024 को आवेदिका चन्द्रकला देवी पत्नी मणीलाल यादव नि0 चकसेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थिनी के पति नशे के आदि थे और पुस्तैनी जमीन को बेचते थे जिसमें परिवार व जमीन खरीदारों से रंजिश चल रही थी कि इसी बात को लेकर किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आवेदिका के पति की हत्या कर दिया गया। जिसके संबंध में स्थानीय पर मु0अ0स0 349/2024 धारा 103(1)बी0एन0एस0 बनाम नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों (1) सुभाष यादव पुत्र लालचन्द यादव निवासी काजीभीटी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ (2)रवि यादव पुत्र स्व0 मणिलाल यादव निवासी चक सेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ (3)चन्दना यादव पत्नी रवि यादव निवासी चक सेठ सेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ (4) चन्द्रकला देवी पत्नी स्व0 मणिलाल यादव निवासी चक सेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया।

➡आज दिनांक 29.11.2024 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 04 अभियुक्तों को चकसेठवल से समय करीब 12.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अपराध करने का तरीका-

अभियुक्तगणो के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मृतक मणीलाल उपरोक्त अपने पैत्रिक सम्पत्ति को बेचकर शराब पीता और पिलाता था और अपने उपर खर्च करता था ,इस कारण से हम लोगो में विवाद होता था कि शेष जमीन को बचाने की नियत से दिनांक 25.11.2024 को मृतक की पत्नी चन्द्रकला देवी शेष जमीन को अपने नाम से बैनामा कराना चाहती थी। जिसका मृतक मणिलाल उपरोक्त के द्वारा विरोध किया गया तथा रजिस्ट्री करने हेतु सहमत न होने पर दिनांक 25.11.2024 को समय करीब 10.00 बजे मृतक की पत्नी चन्द्रकला ,पुत्र रवि यादव व बहूँ चन्दना यादव तथा साला सुबाष यादव के द्वारा शेष जमीन को बचाने तथा मृतक की पत्नी चन्द्रकला के नाम स्थानान्तरित कराने के उद्देश्य से हत्या करने का निश्चय करते हुए दिनांक 25/26.11.2024 की रात्रि लगभग 02.30बजे सभी लोग एक साथ एक राय होकर हत्या की नियत से अपने नये घर से जहाँ पर मृतक सोता था वहाँ पहुचे तथा साला सुबाष के द्वारा पहले उपर चढ कर मुह दवाया गया तथा बहूँ चन्दना व पत्नी चन्द्रकला द्वारा एक एक पैर को पकडा गया और पुत्र रवि द्वारा दोनो हाथो को पकडा गया मृतक मणीलाल उपरोक्त के बेहोश हो जाने पर साले द्वारा घर मे प्रयुक्त होने वाले चाकू से गर्दन को काट दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण/आपराधिक इतिहास:-

(1) सुभाष यादव पुत्र लालचन्द यादव निवासी काजीभीटी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
(2)रवि यादव पुत्र स्व0 मणिलाल यादव निवासी चक सेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
(3)चन्दना यादव पत्नी रवि यादव निवासी चक सेठ सेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
(4) चन्द्रकला देवी पत्नी स्व0 मणिलाल यादव निवासी चक सेठवल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद चाकू व अपराध मे उपयुक्त एक अदद तकिया

अनावरण अभियोगों का विवरण:-

मु0अ0सं0 मु0अ0स0 349/2024 धारा 103(1)बी0एन0एस0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

(1)थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
(2)उ0नि0 संतोष कुमार यादव थाना रानी की सराय जनपद आजगमढ
(3)का0 प्रदीप कुमार पाण्डेय थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
(4)का0 कृष्ण कुमार यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़
(5)का0 सूरज पाण्डेय थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(06) म0का0 अनामिका थाना रानी सराय जनपद आजमगढ़